भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2736
(05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

भारत निर्माण

2736. श्री कल्याण बनर्जी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 2025 तक सिंचाई, सड़कों, आवास, जल आपूर्ति, विद्युतीकरण और दूरसंचार कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण अवसंरचना विकसित करने के लिए 'भारत निर्माण' नामक एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2022 से बजट आवंटन, संस्वीकृति और उपयोग का राज्य-वार और शीर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विकास योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2021 से आर्थिक आधार पर रोकी गई परियोजनाओं का ब्यौरा और संख्या कितनी है और यदि हाँ, तो इसके राज्य-वार क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय वर्तमान में भारत निर्माण योजना का क्रियान्वयन नहीं कर रहा है। भारत निर्माण का पहला और दूसरा चरण क्रमशः 2005-06 से 2008-09 और 2009-10 से 2013-14 तक संचालित था। संबंधित मंत्रालयों द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों या राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास, आवासों के निर्माण और पेयजल आपूर्ति के लिए निधियां सीधे निधियां जारी की जाती थीं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)

ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए , ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को लागू कर रहा है ताकि मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा सकें। दिनांक 31.07.2025 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 4.12 करोड़ आवास आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 3.84 करोड़ आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं और 2.81 करोड़ आवास पूरे हो चुके हैं। पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) , 2011 के आंकड़ों में दिए गए आवास अभाव मानदंडों के आधार पर की गई थी। पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों का अंतिम चयन सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के तहत

निर्धारित आवास अभाव मानदंडों और बहिष्करण मानदंडों, संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा उचित सत्यापन और अपीलीय प्रक्रिया के पूरा होने पर आधारित है। सरकार ने जनवरी 2018 से मार्च 2019 तक आवास+ सर्वेक्षण कराया ताकि उन लाभार्थियों की पहचान की जा सके जिन्होंने दावा किया था कि वे 2011 के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईसीसी) के अंतर्गत छूट गए हैं और इस प्रकार संभावित लाभार्थियों की एक अतिरिक्त सूची तैयार की गई। 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए , पात्र लाभार्थियों की पहचान हेतु आवास+ सर्वेक्षण 2024 ऐप डिज़ाइन किया गया है। आवास+ 2024 सर्वेक्षण के पात्र लाभार्थियों की पहचान, सर्वेक्षण पूरा होने और आंकड़ों के सत्यापन के बाद की जाएगी।

देश भर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के कल्याण की महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करने के लिए पीएम-जनमन योजना शुरू की गई है। पीएम जनमन की आवास पहल के तहत मार्च 2026 तक पीवीटीजी लाभार्थियों के लिए 4.90 लाख आवासों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। 31.07.2025 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4.77 लाख आवासों का संचयी लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से 4.66 लाख आवासों को मंजूरी दी गई है और 1.59 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 24.07.2025 तक की स्थिति अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी केंद्रीय अंश और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध- । में दिया गया है।

वर्ष 2021 से मंत्रालय द्वारा इस योजना के तहत किसी भी परियोजना को वित्तीय रूप से रोका नहीं गया है। हालांकि, कुछ राज्यों में विभिन्न कारकों जैसे लाभार्थियों का प्रवास , अनिच्छुक लाभार्थी, कानूनी उत्तराधिकारी के बिना लाभार्थी की मृत्यु , राज्य सरकारों के राजकोष से केंद्र और राज्य की मिलान हिस्सेदारी जारी करने में देरी के कारण विलंब हुआ है।

पीएमएवाई-जी की सभी स्तरों पर कड़ी निगरानी की जाती है। निर्माण की गुणवत्ता और समय पर पूरा होने पर विशेष ज़ोर दिया जाता है। मंत्रालय इस योजना के तहत आवास स्वीकृति और निर्माण कार्य पूरा करने की गति बढ़ाने और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। इनमें से कुछ कदम निम्नलिखित हैं:

i. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्यों का समय पर आवंटन

ii. योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए पीएमएवाई-जी विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड का शुभारंभ।

iii. नवीनतम आईटी उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके आवास स्वीकृति और पूर्णता की सूक्ष्म निगरानी।

iv. माननीय मंत्री, सचिव और उप महानिदेशक द्वारा नियमित समीक्षा।

v. उन आवासों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना जहाँ निधियों की तीसरी या दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है।

vi. उच्च लक्ष्य वाले राज्यों की अलग से समीक्षा।

vii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार निधियां समय पर जारी करना।

viii. पीएमएवाई-जी के भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

(क) से (ग) भारत सरकार ने इससे पहले भारत निर्माण (2005-2012) के अंतर्गत एक व्यापक , समयबद्ध ग्रामीण अवसंरचना विकास पहल लागू की थी, जिसमें ग्रामीण सड़कों सहित विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया था। हालाँकि भारत निर्माण कार्यक्रम समाप्त हो चुका है , फिर भी सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) सहित विशिष्ट क्षेत्र-केंद्रित प्रमुख योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण अवसंरचना को सुदृढ़ करना जारी रखा है।

ग्रामीण सड़कों के क्षेत्र में, सरकार पीएमजीएसवाई को एकमुश्त विशेष पहल के रूप में लागू कर रही है ताकि पात्र संपर्कविहीन बसावटों तक बारहमासी सड़क संपर्क सुनिश्चित किया जा सके , जिससे आवश्यक सेवाओं तक पहुँच संभव हो सके और ग्रामीण गरीबी कम हो सके।

पीएमजीएसवाई कई चरणों से विकसित हुआ है:

i. पीएमजीएसवाई-I (2000 के बाद) जिसका उद्देश्य 2001 की जनगणना के आधार पर पात्र संपर्कविहीन बसावटों को जोड़ना है।

ii. मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क के समेकन के लिए पीएमजीएसवाई-II

iii. वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में रणनीतिक संपर्क प्रदान करने के लिए आरसीपीएलडब्ल्यूईए।

iv. पीएमजीएसवाई-III जिसका उद्देश्य कृषि बाजारों, स्वास्थ्य केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों तक बेहतर पहुँच के लिए ग्रामीण सड़कों का उन्नयन करना है।

v. पीएमजीएसवाई-IV (11 सितंबर 2024 को शुरू) जिसका उद्देश्य 2011 की जनगणना के मानदंडों के आधार पर 25,000 संपर्कविहीन बसावटों को संपर्कता प्रदान करना है।

पीएमजीएसवाई-I (केवल छत्तीसगढ़ में) , पीएमजीएसवाई-II, आरसीपीएलडब्ल्यूईए और पीएमजीएसवाई-III के तहत चल रहे कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा 31 मार्च 2026 है। पीएमजीएसवाई IV के लिए समय-सीमा मार्च, 2029 तक है।

मंत्रालय, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की संपर्कविहीन बसावटों को सड़क संपर्कता प्रदान करने हेतु 8,000 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण हेतु प्रधानमंत्री-जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (जनमन) के सड़क संपर्क घटक को भी क्रियान्वित कर रहा है। दिनांक 31.07.2025 तक, पीएमजीएसवाई के विभिन्न खंडों के अंतर्गत कुल 8,38,611 किलोमीटर लंबी सड़कों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 7,83,527 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है।

वर्ष 2022 से पीएमजीएसवाई के अंतर्गत जारी निधियां और किए गए व्यय का राज्यवार ब्यौरा - राज्य अंश सहित - क्रमशः **अनुबंध II** और **अनुबंध III** में दिया गया है।

वर्ष 2021 से मंत्रालय द्वारा पीएमजीएसवाई के अंतर्गत किसी भी परियोजना को वित्तीय रूप से रोका नहीं गया है। हालांकि, कुछ राज्यों में विभिन्न कारकों के कारण देरी हुई है, जैसे (i) भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी के मुद्दे; (ii) निविदा और ठेकेदारों के अंतिम रूप देने में देरी; (iii) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कानून और न्याय व्यवस्था की चुनौतियां ; और (iv) पहाड़ी और बर्फीले क्षेत्रों में कार्य करने अनुकूल मौसमों का सीमित होना है।

मंत्रालय क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों , कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों , अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों और तिमाही समीक्षाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ प्रगति की नियमित समीक्षा करता है। यह प्रमुख तकनीकी एजेंसियों (पीटीए)/राज्य तकनीकी एजेंसियों (एसटीए) और मंत्रालय की तकनीकी शाखा, अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

मंत्रालय सभी स्वीकृत कार्यों के समय पर निष्पादन और ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं के कुशल और पारदर्शी कार्यान्वयन के माध्यम से अंतिम छोर तक सड़क संपर्कता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

अनुबंध -I

भारत निर्माण के संबंध में लोक सभा में दिनांक 05.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2736 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान दिनांक 24.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी केंद्रीय अंश और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

करोड़ रुपये में

क्र.सं.	राज्य	मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय अंश				राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग की गई निधियां, राज्य अंश सहित			
		2022-23	2023-24*	2024-25*	2025-25 (20.7.2025 तक की स्थिति अनुसार)*	2022-23	2023-24*	2024-25*	2025-26 (24.07.2025 तक की स्थिति अनुसार)*
1	अरुणाचल प्रदेश	69.58	200.61	1.00	0.00	127.27	239.84	32.39	2.66
2	असम	9141.75	2934.45	4336.24	22.86	10913.25	6356.77	3589.42	2271.79
3	बिहार	7497.21	29.66	2279.60	1516.28	11718.07	1097.77	4338.54	4526.18
4	छत्तीसगढ़	344.23	1730.76	5321.89	52.60	822.15	2201.82	5904.30	2993.05
5	गोवा	0.00	0.00	0.00		0.49	0.58	0.03	1.58
6	गुजरात	911.75	559.25	1302.49	23.98	1004.67	1540.76	1368.94	723.09
7	हरियाणा	44.33	3.23	143.46	0.00	62.35	32.42	132.65	131.48
8	हिमाचल प्रदेश	37.86	99.46	871.39	0.00	33.24	92.40	689.95	111.62
9	जम्मू और कश्मीर	1031.58	1234.69	288.88	0.00	709.95	1363.33	636.37	27.15
10	झारखंड	1236.02	28.09	1014.75	0.00	2127.40	523.32	677.37	911.25
11	केरल	70.29	2.11	66.02	0.00	94.63	22.86	125.18	0.31
12	मध्य प्रदेश	6374.91	241.64	4277.68	1987.17	11171.29	1258.44	3734.67	3899.78
13	महाराष्ट्र	1676.07	785.21	4980.59	3174.50	3098.13	1809.60	4861.40	5299.24
14	मणिपुर	161.14	216.45	169.64	0.00	128.80	157.32	138.14	188.95
15	मेघालय	106.44	1591.26	0.00	0.00	88.26	1498.34	245.95	15.32
16	मिजोरम	29.58	157.90	12.95	0.00	55.52	140.30	58.81	10.77
17	नागालैंड	52.50	334.17	54.91	0.00	28.68	322.57	156.13	3.02
18	ओडिशा	1723.28	4310.71	825.05	1.98	310.83	7643.52	2714.60	396.92
19	पंजाब	71.68	32.64	239.78	0.00	100.86	48.15	184.18	99.41
20	राजस्थान	2157.52	67.57	1239.90	0.00	3036.53	661.99	1440.76	1004.50
21	सिक्किम	0.97	1.58	0.00		1.67	2.12	0.60	0.03
22	तमिलनाडु	2004.39	28.23	167.09	0.76	2290.47	975.55	310.84	112.51
23	त्रिपुरा	1264.20	1276.90	204.86	16.71	1325.14	1664.58	151.68	16.27
24	उत्तर प्रदेश	4777.03	2620.93	130.45	0.00	7317.50	5014.91	785.93	53.42
25	उत्तराखंड	128.08	388.19	20.27	0.03	172.55	353.88	72.72	0.76
26	पश्चिम बंगाल#	0.00	0.00	0.00	0.00	1108.30	80.57	30.71	3.27
27	अंडमान और निकोबार	0.00	5.45	0.00	0.00	0.42	2.19	3.55	0.46
28	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	16.12	0.00	13.49	16.73	26.40	16.11
29	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.16	0.11	0.12
30	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	पुडुचेरी **	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	आंध्र प्रदेश	0.00	312.25	113.50	0.00	87.65	503.66	90.91	28.46

33	कर्नाटक	214.92	3.61	414.04	3.85	0.00	468.67	447.06	521.79
34	तेलंगाना **	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	लद्दाख	3.09	18.90	0.00	0.00	3.00	18.00	0.08	0.00
कुल		**41130.36**	**19215.89**	**28492.52**	**6800.72**	**57952.62**	**36113.12**	**32950.34**	**23371.28**

*पीएम-जनमन सहित

**तेलंगाना राज्य और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र पीएमएवाई-जी को लागू नहीं कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा संतोषजनक की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत न किए जाने के कारण मंत्रालय राज्य को निधियां जारी नहीं कर सका।

अनुबंध- II

भारत निर्माण के संबंध में लोक सभा में दिनांक 05.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2736 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत जारी निधियों का राज्यवार ब्यौरा

2022-23 से 2025-26 तक पीएमजीएसवाई के तहत जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26 (31-7-2025 तक की स्थिति अनुसार)***
1	अंडमान और निकोबार	12.22	12.22	0.05	0.00
2	आंध्र प्रदेश	644.13	140.64	507.32	0.00
3	अरूणाचल प्रदेश	1018.74	339.90	609.00	0.00
4	असम	664.91	391.29	79.24	32.33
5	बिहार	1443.23	963.37	1195.44	0.00
6	छत्तीसगढ़	995.87	401.77	325.24	41.94
7	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	266.63	298.41	220.65	0.00
9	हरियाणा	168.25	74.01	27.38	0.00
10	हिमाचल प्रदेश	624.76	617.56	634.82	0.00
11	जम्मू और कश्मीर	717.00	1304.17	1028.25	0.00
12	झारखंड	332.63	752.80	961.77	0.00

13	कर्नाटक	720.47	72.25	100.58	0.00
14	केरल	106.76	54.25	122.27	0.00
15	मध्य प्रदेश	1557.47	599.42	703.29	0.00
16	महाराष्ट्र	743.00	1110.80	854.93	0.00
17	मणिपुर	744.98	161.29	2.81	0.00
18	मेघालय	405.89	122.59	219.62	11.94
19	मिजोरम	584.20	141.37	87.50	0.00
20	नागालैंड	183.15	161.29	2.25	2.25
21	ओडिशा	1235.88	1262.55	712.39	0.00
22	पुदुचेरी	24.72	0.27	25.00	0.00
23	पंजाब	231.06	265.10	319.87	0.00
24	राजस्थान	199.90	404.79	450.46	0.00
25	सिक्किम	263.33	94.37	70.00	0.00
26	तमिलनाडु	613.70	411.36	638.66	0.00
27	त्रिपुरा	267.59	185.03	172.75	0.00
28	तेलंगाना	321.43	296.9625	132.57	0.00
29	उत्तर प्रदेश	2068.57	2679.63	1968.60	0.00
30	उत्तराखंड	1297.16	551.05	815.50	0.00
31	पश्चिम बंगाल	381.03	99.275	225.00	0.00
32	लद्दाख	109.97	37.50	113.81	0.00
कुल		**18,948.61**	**14,007.29**	**13,327.02**	**88.01**

** एसएनए स्पर्श तंत्र के माध्यम से केंद्रीय निधियों का जारी होना शुरू हो गया है*

-

अनुबंध- III

भारत निर्माण के संबंध में लोक सभा में दिनांक 05.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2736 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 2022-23 से 2025-26 तक व्यय का राज्यवार ब्यौरा (राज्य अंश सहित)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 2022-23 से 2025-26 तक व्यय का राज्यवार ब्यौरा (राज्य अंश सहित)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	अंडमान और निकोबार	7.51	22.93	3.97	2.93
2	आंध्र प्रदेश	748.63	368.03	370.60	92.27
3	अरुणाचल प्रदेश	1,246.99	320.09	726.10	244.45
4	असम	1,118.21	571.22	264.76	23.43
5	बिहार	2,088.54	1,815.63	2,312.80	309.28
6	छत्तीसगढ़	1,057.35	388.09	413.71	39.38
7	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	492.19	328.46	361.22	36.37
9	हरियाणा	213.81	150.86	34.60	1.39
10	हिमाचल प्रदेश	626.84	371.54	904.14	293.68
11	जम्मू और कश्मीर	1,114.78	1,256.96	1,070.58	122.99
12	झारखंड	745.63	1,323.90	1,374.96	160.25
13	कर्नाटक	864.71	404.80	142.81	0.00
14	केरल	124.97	161.43	249.15	29.37
15	मध्य प्रदेश	1,978.73	1,105.16	966.83	91.57
16	महाराष्ट्र	1,074.02	1,451.92	1,524.10	352.71
17	मणिपुर	539.11	296.83	88.75	1.08
18	मेघालय	373.72	238.19	375.61	13.35
19	मिजोरम	315.94	381.62	45.78	16.21
20	नागालैंड	198.65	94.01	30.50	17.39
21	ओडिशा	2,088.94	1,589.8	735.0	12.70
22	पुदुचेरी	27.08	11.89	0.00	0.00
23	पंजाब	428.72	522.95	328.82	115.41
24	राजस्थान	372.38	633.09	933.32	0.00
25	सिक्किम	230.34	130.13	148.98	49.51
26	तमिलनाडु	532.36	776.91	741.43	673.36
27	त्रिपुरा	152.90	112.64	98.07	18.23
28	तेलंगाना	345.32	479.41	399.66	18.65
29	उत्तर प्रदेश	3,267.32	3,791.65	2,704.11	225.00

30	उत्तराखंड	1,350.02	800.68	934.09	79.65
31	पश्चिम बंगाल	394.75	309.11	271.11	100.90
32	लद्दाख	107.81	30.44	0.00	0.00
	कुल	**24,228.27**	**20,240.33**	**18,555.51**	**3141.51**

****